

# झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी० ए० संख्या-44/2020

ऋषभ यादव उर्फ रेशव यादव उर्फ रेशभ यादव .... याचिकाकर्ता  
बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

**कोरम :** माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्ता के लिए: श्री मोहित प्रकाश, अधिवक्ता।

विपक्षी पक्ष के लिए : श्री पंकज कुमार, ए०पी०पी०।

2/17.01.2020 श्री मोहित प्रकाश, याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता इस आवेदन को वापस लेने की अनुमति चाहते हैं।

अनुमति दी गई है।

तदनुसार, यह आवेदन वापस लेने के कारण खारिज कर दिया गया।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया०)